Research Paper COMMERCE

भारत में बैंकिंग के बदलते परिदृश्य में जोखिम प्रबन्धन एवं बासल II दृष्टिकोण

Bharat Me Banking ke Badalate Paridrshy me jokhim Prabndhan Evam Basel II Drashtikon

DAYALAL SANKHLA

LECTURER IN E.A.F.M., S.G.P.B.GOVT. GIRL'S COLLEGE,PAL-I,RAJASTHAN OPPOSITE CIRCUIT HOUSE, TEGORE NAGAR, PALI(306401)

ABSTRACT

भारतीय अर्थव्यवस्था के अर्न्तगत बदलते वित्तीय वातावरण में बैंकिंग क्षेत्र का का महत्वपूर्ण योगदान है। बैंकिंग क्षेत्र जिस प्रकार से आधुनिक युग में भूमिका निभा रहा हैं उससे बैंकिंग क्षेत्र में एक क्रान्ति सी उत्पन्न हो गई है। नवीन उत्पादों व नवीन तकनीक व बाह्य जगत के साथ बढ़ते एकीकरण से बैंकों का व्यावसायिक जोखिम भी बढ़ा है। जोखिम की अवधारणा विस्तृत है। उदारीकरण के परिवेश में बैंकिंग क्षेत्र में अनेक प्रकार के जोखिम पैदा हो रहे हैं जो कि बैंकों की लाभप्रदता को प्रभावित कर रहे है। जोखिम को कम करने के लिए बैंकों में बेहतर जोखिम प्रबन्धन फ्रेमवर्क अत्यन्त जरूरी है। बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली जोखिम प्रबन्धन नीति जोखिम की स्पष्ट समझ और मांग के स्तर पर मूलरूप से टिकी होती है। इस पत्र में बैंक जोखिमों के प्रकार, जोखिम प्रबन्धन नीति पर चर्चा करते हुए बैंकों में जोखिम प्रबन्धन हेतु बासल II के कार्यान्वयन, अवसर व चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है।

KEYWORDS जोखिम, जोखिम प्रबन्धन नीति, बासल II

iLrkouk %

उदारीकरण व वैश्विकरण के पश्चात हमारी अर्थव्यवस्था ने एक मजबूत आधार ले लिया है। भारत एक बढ़ती औद्योगिक और तीव्र समृद्धिशील अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और आधुनिकीकरण ने व्यक्ति को उच्च शिक्षा स्तर, बढ़ी हुई आय, क्रयशक्ति, बेहतर जीवनशैली की आकांक्षाओं और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों तथा सेवाओं की ओर अग्रसर किया है। हमारी अर्थव्यवस्था में सेवा क्षैत्र (तृतीयक क्षैत्र) का महत्वपूर्ण योगदान है। बैंकिंग क्षैत्र जिस प्रकार से आधुनिक युग में भूमिका निभा रहा हैं उससे बैंकिंग क्षेत्र में एक क्रान्ति सी उत्पन्न हो गई है। पूर्व में बैंक केन्द्रीय बैंकों द्वारा नियन्त्रित परिवेश में काम करते थे, उनका न तो कार्यक्षेत्र विस्तृत था और न ही प्रतिस्पर्धा की कोई पवनांतर थी और न ही नवपरिवर्तन का कोई अवसर। उदारीकरण के बाद बैंकिंग क्षेत्र में एक नया मोड़ आया है। बैंकों ने लाभ कमाने के नए रास्ते खोजने आरम्भ कर दिए है। जहाँ एक ओर बैंकों ने प्रतिभूति बाजार, मुद्रा बाजार, वित्तिय सेवाओं तथा औद्योगिक पूँजी में निवेश किया है वहीं दूसरी ओर बैंक आवास ऋण, पारस्परिक निधि, क्रेडिट कार्ड,डेबिट कार्ड कारोबार, इन्टरनेट बैंकिंग तथा निर्गम प्रबन्ध आदि कारोबार के लिए अपनी अनुषंगी कम्पनियाँ चला रहे है। अब बैंक परिसर बैंकिंग के साथ–साथ बाजार बैंकिंग की ओर बढ़ रहे है। इन नवीन उत्पादों में कम्प्यूटर तकनीक का महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन इन नवीन उत्पादों व बाह्य जगत के साथ बढ़ते एकीकरण से बैंकों का व्यावसायिक जोखिम भी बढ़ा है।

जोखिम व्यवसाय का अभिन्न अंग होता है और यह बैंकिंग उद्योग के साथ भी उदारीकरण के पूर्व से ही जुड़ा हुआ है। बैंकों का तो प्रमुख कार्य ही वित्त प्रदान करना है। जहाँ 'वित्त' होता है वहाँ 'जोखिम' स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। आजकल सूचना प्रौद्योगिकी आधारित पद्धतियों एवं क्रिया–विधियों के क्रियान्वयन से जोखिम बढ़ने के आसार ज्यादा हो गए है बशर्तें सुरक्षा उपाय लागू न किए गए हों। बैंक ने अब अधिक लाभ कमाने के लिए निवेश की प्रकिया में भी अपने हाथ डाल दिए है, किन्तु गलत जगह निवेश होने से बैंकों को न केवल लाभ या लाभांश की हानि उठानी पड़ती है। बल्कि पूँजी का भी ह्रास हो जाता है। इस जोखिम के कारण बैंको की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह अपने जमाकर्ताओं व बकाएदारों की देय राशि को चुकाने में कठिनाई का अनुभव करता है और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि बैंक पर से जनता का विश्वास उठ जाता है।

cd tkf[kek d idkj

व्यवसाय में हानि, संकट या नुकसान से पूर्ण स्थिति को जोखिम कहा जाता है। जोखिम में अनिश्चितता तत्व होने के कारण इसे किसी भौतिक इकाई से मापा नहीं जा सकता। जोखिम की अवधारणा विस्तृत है। उदारीकरण के परिवेश में बैंकिंग क्षैत्र में अनेक प्रकार के जोखिम पैदा हो रहे हैं जो कि बैंकों की लाभप्रदता को प्रभावित कर रहे है। बैंको को अनेक प्रकार के जोखिमों का सामना करना पड़ता है जो निम्न प्रकार है।

_.k tkf[ke –

ऋणों को प्रदान करने में बैंक कितनी भी सावधानी रख लें व कितना ही सम्बन्धित पक्ष अर्थात् ऋण लेने वाले पक्ष के प्रति आश्वस्त हो जाएं, किन्तु ऋणों की वसूली में कमी होना स्वाभाविक है। बैंक के पास स्वयं का धन तो होता नहीं, बल्कि वह तो किसी ग्राहक का जमा धन किसी दूसरे ग्राहक को ऋण के रूप में देकर मात्र दोनों ग्राहकों को प्रदान किए जाने वाले तथा प्राप्त होने वाले ब्याज के अन्तर से ही कमाता है। साथ ही वह जमा धन के ग्राहक की मात्रा पर तुरन्त उसको धन उपलब्ध कराता है। अतः सम्पूर्ण प्रकिया के दौरान जोखिम बैंक स्वयं ही उठाता है। ऋण जोखिम बैंक के पोर्टफोलियों की आन्तरिक और बाह्य कारकों को प्रभावित करती है। उधारकर्त्ता की वित्तीय स्थिति के मूल्यांकन की कमी, अपर्याप्त जोखिम,मूल्य निर्धारण,उधार सीमा को परिभाषित नहीं करना, उचित ऋणों से सम्बन्धित समझौतों या नियमों को परिभाषित नहीं करना आदि आन्तरिक कारक है। जबकि विनिमय दर और ब्याज दरों में उतार–चढ़ाव, माल या इक्विटी की कीमतों में उतार–चढ़ाव, कर ढ़ाचें, सरकारी नीतियॉ, राजनीतिक प्रणाली आदि बाह्य कारण है।

lk[k tkf[ke &

साख किसी भी प्रकार के व्यवसाय का जीवन रक्त है। व्यवसाय की साख ही ऐसा माध्यम है जिससे ग्राहक आकर्षित होता है। बैंक को साख बनाने में बहुत समय लगता हैं क्योंकि ग्राहकों या जमाकर्ताओं के बीच विश्वास और आस्था पैदा करना आसान काम नहीं है। बैंक वित्तीय सेवाओं के व्यवसाय में होते हैं और व्यवसाय में रहने के लिए उन्हें संसाधन जुटाने, ग्राहकों को उधार देने के लिए तथा ग्राहकों को आकर्षित करने हेतु साख की आवश्यता पड़ती है। बाजार में एक मध्यस्थ की भूमिका में होने के कारण बैंक के कार्यकलापों के प्रति ग्राहकों में विश्वास एवं निष्ठा होनी बहुत जरूरी है। यदि प्रबन्धतंत्र अपनी संस्था की साख जोखिम को नहीं सँभाल पाता हैं तो समुचित विकास की ओर नहीं बढ़ पाएगी तथा बैंक की साख पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा।

diV ;k tkylkth tkf[ke &

धोखाधड़ी या कपट में एक व्यक्ति द्वारा बेईमानी करके किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को चोट पहुँचाई जाती है और इसके फलस्वरूप दूसरे व्यक्ति को आर्थिक लाभ प्राप्त करता है। बैंकिंग व्यापार का आधार तरलता के लेन–देन पर आधारित है। अतः धोखाधड़ी होना कोई नई घटना है। हालांकि सामान्य धोखाधड़ी एवं बैंक धोखाधड़ी में पर्याप्त अन्तर होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी में मिथ्यावर्णन की घटनाएं, लेखा पुस्तकों की गड़बड़ी, कपटपूर्ण भुगतान लेना, छल, विश्वास भंग, प्रतिभूतियों का अनाधिकृत रूप से प्रयोग, खातों में अनियमितता, चोरी आदि। कभी–कभी बैंक की धोखाधड़ी में कर्मचारी भी सम्मिलित होते है। धोखाधड़ी की किसी भी घटना से बैंक को प्रत्यक्ष रूप से हानि तो होती ही है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में इसके दुष्प्रभाव भी बहुत व्यापक होते हैं। इससे बैंक की साख को धक्का लगता है व बिना वजह बैंक कानूनी प्रकिया में उलझ जाता है, जिससे धन, जन एवं समय तीनों की बर्बादी होती है।

cktkj tkf[ke &

बाजार जोखिम के अन्तर्गत अस्थिर ब्याज दरों, शेयर और कमोडिटी की कीमतों और विदेशी मुद्रा दरों के रूप में होने के कारण बहु–कारक एक परिसंपत्ति के मूल्य में कमी की संभावना को दिखाते हैं। कुछ बाजार के जोखिम वाले कारकों में इक्विटी जोखिम (ब्याज दरों में कमी), मुद्रा जोखिम (विदेशी मुद्रा), वस्तु जोखिम (कमोडिटी की कीमतों में बदलाव) और परिचालन जोखिम शामिल (व्यावसायिक कार्यों के आधार पर)। उतार–चढ़ाव की भविष्यवाणी के लिए एक बाजार में जोखिम मॉडल का उपयोग करने के लिए, इन तत्वों के पर्याप्त रूप से समीकरण पर सकारात्मक असर होगा।

ifjpkyuxr tkf[ke &

विश्व में उन्नत सूचना प्रौद्यौगिकी व तकनीक में नवीन परिवर्तनों की बदौलत आज दुनिया एक वैश्विक गाँव में परिवर्तित हो रही है। सूचना प्रौद्योगिकी को अंगीकार करने से बैंकिंग सेवाओं की कुशलता और गति में अधिक वृद्वि हुई है। साथ ही साथ प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन में शामिल जोखिम कारकों के कारण कई प्रकार की समस्याएं बढ़ गई है। आजकल सर्वर हैकिंग और डेटाबेस, बैंक फिशिंग, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से सम्बन्धित जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। कम्प्यूटरीकृत बैंकिंग वातावरण में दैनिक कार्य

 ISSN - 2250-1991

में भी विभिन्न जोखिम उत्पन्न हो जाते है। नवीन तकनीक ज्ञान में कहीं तनिक चूक रह जाती है तो संवेदनशील सुविधाओं का गलत प्रयोग होने लगता है। कम्प्यूटरीकृत भूल या डेटा दर्ज करने में चूक होना, लेन–देन की सम्पूर्णता एवं यथार्थता को प्रभावित कर देती है। कम्प्यूटर या किसी अन्य संचार प्रणाली के कार्य परिचालन के दौरान अचानक ठप होने से बैंक के कार्यकलापों एवं व्यवसाय में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है।

cid ei tkf[ke icU/ku &

वित्त से सम्बन्धित संभावित जोखिमों का पता लगाना, उनका विश्लेषण करना एवं जोखिम को कम करने के लिए अग्रिम कदम उठाना ही जोखिम प्रबन्ध है। जोखिम की मात्रा वित्तीय साधन के प्रकार पर निर्भर है। वित्तीय जोखिम उच्च मुद्रास्फीति, मंदी, तेजी, दिवाला, पूंजी बाजार में उतार–चढ़ाव आदि के रूप में हो सकता है। जोखिम से बचा नहीं जा सकता और यह लगभग प्रत्येक मानवीय स्थिति में मौजूद है। जोखिम को पूर्णतया खत्म नहीं किया जा सकता लेकिन इसे कम करने के उपाय अवश्य किये जा सकते है। इस हेतु दो बातें आवश्यक है पहली बैंक का पूंजी आधार कमजोर न होने पाए और दूसरी जोखिम का उचित प्रबन्धन हो। जैसे कि संगठन का उत्कृष्ठ ढ़ाँचा, विस्तृत दृष्टिकोण, सुदृढ़ पूंजीगत आधार, विवेकपूर्ण ढ़ग से ऋणों की स्वीकृति, सुदृढ सूचना प्रणाली और समस्याओं के निवारण के उपाय आदि।

जोखिम को कम करने के लिए बैंकों में बेहतर जोखिम प्रबन्धन फ्रेमवर्क अत्यन्त जरूरी है। जोखिम प्रबन्धन का लक्ष्य है प्रभावी रूप से जोखिम–प्रतिफल ट्रेड–ऑफ में संतुलन बनाए रखना जिसका तात्पर्य है "दिये गए जोखिम के लिए अधिकतम प्रतिफल" तथा "दिये गए प्रतिफल के लिए न्यूनतम जोखिम"। बैंकों की सफलता के लिए जोखिम प्रबन्धन का होना आवश्यक है। बैंक के शीर्ष प्रबन्धन को बाजार के अनुसार समीकरणों व विनियमन दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए एक प्रभावी जोखिम प्रबन्धन फ्रेमवर्क लागू करने का प्रयास करना चाहिए।

tkf[ke icU/ku ifd;k &
cid ei tkf[ke 0;RifRr
ऋण जोखिम
बाजार जोखिम
परिचालन जोखिम
tkf[ke dh igpku
समझना और विश्लेषण करना
tkf[ke dk eY;kdu vkj ekiu
आकलंन व प्रभाव
प्रभाव को मापना
tkf[ke fu;U=.k
नियन्त्रण के लिये सिफारिशें
कंट्रोल तकनीक के माध्यम से जोखिम का शमन
सक्षम अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति
tkf[ke fuxjkuh
प्रगति की रिर्पोटिग
नियमों व निर्देशों का अनुपालन
tkf[ke okilh 0;kikj cn
वापसी के खिलाफ जोखिम सन्तुलन

cid tkf[ke icU/ku uhfr &

बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली जोखिम प्रबन्धन नीति जोखिम की स्पष्ट समझ और मांग के स्तर पर मूलरूप से टिकी है। बैंकों में जोखिम का स्पष्ट निर्धारण एक मौलिक पूर्व–शर्त है, और यह निरन्तर जोखिम सीमा ढांचे से स्थापित होता है तथा पोर्टफोलियो संघटक, लक्ष्य ग्राहक खण्ड, क्षैत्र, लाभ प्रदता लक्ष्य, विस्तार नीतियाँ, व्यापार, योजनाएं और अवरोध आदि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। बैंक ने जोखिम प्रबन्धन संगठन रूपरेखा स्थापित कर ली है। बैंक ने ऋण जोखिम के लिए ऋण नीति समिति (सीपीसी), बाजार जोखिम के लिए आस्ति देयता प्रबन्धन समिति (एएलएमसी) और परिचालन जोखिम के लिए परिचालन जोखिम प्रबन्धन समिति (ओआरएमसी) नाम से जोखिम प्रबन्धन समितियाँ गठित की जाती है।

_.k tkf[ke icU/ku uhfr &

बैंक में बोर्ड द्वारा सुसंरचित ऋण जोखिम प्रबन्धन नीति तैयार की है। इस नीति में संगठन की संरचना, उत्तरदायित्व और भूमिका तथा उन प्रकियाओं का उल्लेख है। जहाँ बैंक द्वारा वहन किए जाने वाले ऋण जोखिम को पहचान कर उसकी जोखिम की मात्रा का अनुमान लगाकर एवं रूपरेखा तैयार कर प्रबन्धन किया जाता है। जिसे बैंक अपने आज्ञा–पत्र और जोखिम वहन करने की क्षमता के साथ निरन्तर जोखिम मानता है।

सीपीसी बैंक की जोखिम वहन क्षमता को लेखा मे लेता है और उसके अनुसार सुरक्षा, विवेकपूर्ण मानदण्ड, तरलता, अनावरण सीमाओं को संभालता है। इसके लिए पूर्व अनुभवों, अनुभव निष्पादन, वसूली अनुभवों आदि का तालमेल तथा नियामक और कानूनी मामलों को काम में लेता है। आन्तरिक नियन्त्रण प्रकिया की गुणवत्ता का भी प्रबोधन किया जाता है और ऋण जोखिम के सभी पक्षों को संभालने के लिए आन्तरिक कौशल भी तैयार किया जाता है।

cktkj tkf[ke icU/ku uhfr &

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित बाजार जोखिम प्रबन्धन नीति और आस्ति देयता प्रबंधन (एसएलएम) को लाइक किया है ताकि बैंक में जोखिम का प्रभावपूर्ण प्रबन्धन किया जा सके। बाजार जोखिम प्रबन्धन को संभालने की अन्य नीतियाँ निवेश नीति, फोरेक्स जोखिम प्रबन्धन नीति और डेरिवैटिव नीति है। बाजार जोखिम प्रबन्धन नीति, प्रबन्धन कार्यो और प्रकियाओं के लिए स्पष्ट रूपरेखा निर्धारित करती है। जिससे बैंक द्वारा उठाए गए बाजार जोखिम एएलएम फ्रेमवर्क के अन्तर्गत बैंक की जोखिम छूट के अनुरूप पहचाने जाये, प्रबोधित किए तथा नियन्त्रित किये जाते है।

ifjpkyu tkf[ke icU/ku uhfr &

यह बैंक द्वारा विधिवत् अनुमोदित होती है। बोर्ड द्वारा अपनाई गयी अन्य नीतियाँ जो परिचालनात्मक जोखिम को संभालती है। इस प्रकार है– (क) सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति (ख) फोरेक्स जोखिम प्रबन्धन नीति (ग) अपने ग्राहक को जाने पर नीतिगत दस्तावेज और धन शोधन निवारक (एएलएम) कार्यविधियों (घ) अविराम आइटी कारोबार तथा विपक्ष पुनः प्राप्ति योजना नीति का मूल उद्देश्य बैंक के दैनदिन जोखिम प्रबन्धन प्रकियाओं में भूमिकाओं के स्पष्ट नियतन के जरिए परिचालनात्मक जोखिम को प्रभावी ढ़ंग से पहचानने निर्धारित करने, प्रबोधित करने तथा नियन्त्रित या कम करने और भौतिक परिचालनात्मक हानियों सहित परिचालनात्मक जोखिम प्रबन्धन प्रणाली को एकीकृत करना है। बैंक ने परिचालनात्मक जोखिमों को व्यापक, सुद्दढ़ व स्पष्ट आन्तरिक फ्रेमवर्क के द्वारा संभाला है।

cid ei tkf[ke icU/ku % ckly lfefr nf"Vdk.k

विश्व में बैंकों को अभिशासित करने वाली जोखिम प्रबंधन नीतियों में सभी देशों में व्यापक अंतर पाया जाता है, जो बैंकिंग संस्थाओं के वैश्वीकरण में एक गम्भीर बाधा सिद्ध हुआ है। बासल समिति ने अंतर्राष्ट्रीय रूप से सक्रिय बैंकों के लिए जोखिम प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण से सम्बन्धित बैंकिंग नीतियों में एकरूपता लाने के लिए जो समझौता किया, वही बासल समझौता कहलाता है। बासल समिति ने सर्वप्रथम वर्ष 1988 में कुछ दिशा–निर्देश जारी किए जिसे बासल प्रथम के नाम से जाना गया। यह पहली बार था जब यह अनुभव किया गया कि किसी भी बैंक को एक न्यूनतम पूंजी रखनी चाहिए जो बैंक को विभिन्न प्रकार की जोखिमों से होने वाले नुकसान का सामना करने में सक्षम हो तथा विभिन्न प्रकार की आस्तियों के लिए भिन्न–भिन्न जोखिम प्रभार होने चाहिए।

तत्पश्चात् वर्ष 2004 में बासल समिति ने एक नया समझौता बासल II जारी किया। बासल समिति का यह विचार है कि यह समझौता बैंकों में जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने में सक्षम है । इसमें बैंकों के दैनंदिन संचालन में आने वाली सभी प्रकार की जोखिमों के अनुरूप पूंजी पर्याप्तता एवं जोखिम प्रभार निर्धारण के लिए विभिन्न अवधारणाएं बतलाई गई हैं जिनके आधार पर बैंक अपनी जोखिमों का आकलन कर सकते हैं एवं पर्यवेक्षक यह निर्धारित कर सकते हैं कि बैंक द्वारा किया गया जोखिम का आकलन एवं उसके लिए आवंटित पूंजी पर्याप्त है अथवा नहीं। साथ ही यह बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता लाकर बाजार अनुशासन को बढ़ावा देता है।

भारतीय बैंकिंग को सुदृढ बनाकर एवं उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के साथ पंक्तिबद्ध करने के लिए आरबीआई ने नब्बे के दशक में बासल । को अपनाया तब भी प्रुडेन्शियल नॉर्म्स, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान में भारतीय बैंकों को अत्यन्त कठिनाईयों का सामना करना पड़ा था। अंततः भारतीय बैंकों ने बासल I को सफलतापूर्वक लागू कर दिखाया। अब भारतीय रिजर्व बैंक ने देशी बैंकों के लिए बासल II को लागू कर दिया गया है। आरबीआई ने सर्वप्रथम बासल II को लागू करने हेतु मार्च 31, 2007 तक की समय सीमा रखी थी जिसका प्रारम्भिक तौर पर विभिन्न बैंकों के प्रबंधन द्वारा कुछ विरोध भी हुआ। भारतीय बैंकों के पूरी तरह तैयार नहीं होने के कारण समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2008 कर दी गई।

ckly II vkj Hkkjrh; cfdx d fy, volj &

बासल II के संशोधित प्रतिमान के तहत भारतीय बैंकों में नए पूंजी पर्याप्तता ढ़ाँचे का संशोधित स्वरूप, पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया पर दिशानिर्देश तथा विनियामक पूंजी के भाग के रूप में अधिमानी शेयरों का निर्गम शामिल है। बासल II की उन्नत अवधारणाओं को अपनाने से पूर्व बैंकों को पर्यवेक्षकों के समक्ष यह साबित करना होगा कि वे बासल मानदंडों के अनुकूल कार्य करने में सक्षम हैं। बासल II के जोखिम प्रबंधन, पूंजी प्रबंधन आदि पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव को अग्रलिखित बिन्दुओं में स्पष्ट किया गया है –

बासल समझौता अपनाने से पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ की संयुक्त सदस्यता वाली स्टीयरिंग समिति वर्ष 2005 में स्थापित की गई थी। जिसने बासल सिद्धान्तों की भारत में बैंकिंग प्रणाली के विकास एवं प्रगति के लिए उपयोगिता देखकर ही बासल II को अपनाने की घोषणा की है। बासल II समझौता बैंकिंग उद्यम में सुरक्षा और सुदृढ़ता लाने का एक समग्र स्वरूप है। यह पर्यवेक्षीय पूंजीगत आवश्यकताओं को बैंक के जोखिम प्रकटीकरण से जोड़ता है। पर्यवेक्षकों एवं बाजार विश्लेषकों को पूंजी पर्याप्तता परिमापन में सक्षम बनाता है और बैंकिंग संगठनों को जोखिम मापन एवं प्रबंधन में सुधार हेतु प्रोत्साहित करता है।

ckly II d çFke LrEHk के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने अपेक्षित डाटा को निर्मित करने, जोखिम मॉडलों को विकसित करने और उनकी बाद में जाँच–पड़ताल करने में बैंकों के सामने उपस्थित मानव संसाधन और सूचना प्रौद्योगिकी की मूलभूत संरचना की चुनौतियों एवं पर्यवेक्षकों के लिए भी मॉडलों को वैधीकृत करने और अनुमोदन की प्रक्रिया संचालित करने में उत्पन्न चुनौतियों का ध्यान रखते हुए इस बात को वरीयता दी कि भारत में बैंकों द्वारा प्रारम्भ में स्पष्ट व सरल दृष्टिकोणों का कार्यान्वयन किया जाए।

बासल II को लागू करके भारतीय बैंक वृहद रूप से अपने साख जोखिम प्रभारों को कम करके विनियामकीय पूंजी में कमी ला सकते हैं यदि वे अच्छी रेटिंग वाले कॉरपोरेट ऋण, खुदरा ऋण तथा अपने ऋणों पर मोर्टगेज, प्रतिभूति आदि को अपने पोर्टफोलियो में सम्मिलित करें । इससे निश्चित ही बैंकों के ऋण प्रबंधन में परिवर्तन आएगा तथा उनका पोर्टफोलियो भी व्यापक रूप से प्रभावित होगा । यहाँ तक कि यदि बैंक अपने पोर्टफोलियो में परिवर्तन न भी करें तो भी आईसीआरए (ICRA) के अनुमानों के अनुसार बासल II को अपनाने से साख जोखिम के लिए विनियामकीय पूंजी में कमी आएगी।

परिचालन जोखिम जो कि बासल II के तहत पहली बार जोखिम प्रबंधन का अंग बनाई गई है, के लिए बैंकों को अतिरिक्त विनियामकीय पूंजी की व्यवस्था करनी होगी। भारत में, बैंकों को सूचित किया गया है कि वे परिचालन जोखिम के लिए पूंजीगत प्रभार का आकलन करने हेतु मूलभूत संकेतक दृष्टिकोण (Basic Indicator Approach) को अपनाएँ।

ckly II d f}rh; LrEHk "पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया" के तहत बैंकों को नियामकीय पूंजी के अतिरिक्त एवं उससे ऊपर सभी प्रकार की जोखिमों का सामना करने के लिए एक न्यूनतम पूंजी कोष रखना होगा। इसके तहत उन जोखिमों के लिए पूंजी प्रभार रखने की अपेक्षा बैंकों से की जाती है जिन्हें प्रथम स्तम्भ के तहत नहीं रखा गया है जैसे तरलता जोखिम, ब्याज दर जोखिम, रणनीतिक जोखिम, व्यापार जोखिम इत्यादि। यह न सिर्फ बैंकों को जोखिमों का सामना करने के लिए तैयार करता है वरन् पर्यवेक्षकों को भी पूंजी पर्याप्तता के अनुमान जानने में सक्षम बनाता है।

ckly II d f}rh; LrEHk के तहत आरबीआई ने जोखिम आधारित पर्यवेक्षण को लागू कर दिया है जिसमें बारह विविध जोखिमों के आधार पर बैंकों के जोखिम ढ़ाँचे का मूल्यांकन किया जाता है। पहले जहां बैंक निरीक्षण केवल क्रेडिट पर केन्द्रित हुआ करता था वहीं बासल मानदंडों को देश में लागू करने हेतु अब आरबीआई द्वारा किया जाने वाला बैंक परीक्षण जोखिम आधारित होने लगा है।

ckly II d r`rh; LrEHk "बाजार अनुशासन" के अंतर्गत बैंकों को नए जोखिम आधारित पूंजी अनुपातों, साख गुणवत्ता, पोर्टफोलियो प्रबंधन, जोखिम मापन एवं प्रबंधन से जुड़ी सभी जानकारियाँ सही स्वरूप में प्रदान करनी होगी। इस तरह बैंक की विविध प्रकार की गतिविधियों, उनमें विद्यमान जोखिम एवं उसके मापन–प्रबंधन के बारे में जानकारी प्रदान करने से बैंक वित्तीय बाजारों के प्रति अधिक पारदर्शिता अपनाते हैं जो अंततः बाजार अनुशासन को बढ़ावा देती है। वर्तमान वैश्विक वित्तीय संकट वित्तीय कारोबार में पारदर्शिता, लेखा अनुशासन, कम प्रकटीकरण इत्यादि का ही नतीजा था अतएव बासल II के तृतीय स्तम्भ को सही मायनों में लागू करने से बाजार में वित्तीय संस्थाओं के बारे में निवेशकों को सही जानकारी का ज्ञान होगा जो बाजार के सुदृढ़ीकरण के लिए नितान्त आवश्यक है ।

Hkkjr d lUnHk e pukfr;k &

बासल II समझौता औद्योगिक रूप से समृद्ध जी–10 देशों के मद्देनजर बनाया गया है जहां साख का इष्टतम दोहन किया जा चुका है। भारत जैसे विकासशील देशों में जहां आज भी अधिकांश जनता वित्तीय क्षेत्र की परिधि से बाहर है बासल समझौता एक अदूरदर्शी कदम साबित हो सकता है। बासल II को अपनाने से पूर्व ध्यान में रखनी चाहिए वे हैं–

• निवर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार बासल II को केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू किया गया है और अन्य वित्तीय क्षेत्र जैसे बीमा, प्रतिभूति इत्यादि इससे अछूते हैं । स्पष्ट है कि वित्तीय तंत्र के अंतर्गत केवल बैंकिंग पर ही बासल का प्रभाव होगा।

• आशंका है कि बैंकिंग संस्थान बासल II प्रतिमानों को लागू करने पर परिचालन जोखिम के लिए जरूरी अतिरिक्त पूंजी प्रभार की वसूली ग्राहकों पर दिन प्रतिदिन की बैंकिंग गतिविधियों के लिए अधिक मूल्य लगाकर करें । इसके कारण उत्पन्न स्थिति ग्राहकों को अधिक जोखिम वाले बैंकों से उत्पाद एवं सेवाएं खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है ।

• चूंकि भारतीय बैंकों का ऋण एवं अग्रिम पोर्टफोलियो अधिकांशतः अनरेटेड संस्थाओं के लिए होता है अतःएव बासल II के अंतर्गत लागू होने वाला कम जोखिम वाले कॉरपोरेट वर्ग के लिए कम जोखिम प्रभार का विशेष असर भारतीय बैंकों पर नहीं पड़ेगा ।

• भारत जैसे देश में बैंकों में सार्वजनिक सर्वाधिकार जनता के मन में जो सम्मान एवं विश्वास पैदा करता है उसकी तुलना किसी भी प्रकार की पूंजी से नहीं की जा सकती है । यही कारण है कि भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् से कोई सार्वजनिक बैंक असफल नहीं हुआ है ।

• बासल संस्थान द्वारा कराए गए QIS&5 के अनुसार जी–10 देशों के बैंकों में जोखिम प्रबंधन तंत्र उत्तम है जबकि आर्थिक मंदी में जिस तरह वहां के बैंकों की दुर्दशा हुई वह बासल II के समूचे अस्तित्व पर ही सवाल उठाती है । यही वजह है कि फेडरल रिजर्व ने बासल II को लागू करने पर रोक लगा दी है क्योंकि यह अमरीकी बैंकों में न्यूनतम पूंजी के स्तर को वर्तमान स्तर से घटा सकता है । स्पष्ट है कि वैश्विक आर्थिक संकट ने यह संशय अधिकांश बैंकिंग जगत में पैदा कर दिया है कि बासल II को लागू करना अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक तंत्र को मजबूत करेगा अथवा कमजोर ।

• बासल II के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आस्तियों के लिए जोखिम का निर्धारण रेटिंग कम्पनियों द्वारा दी गई रेटिंग के आधार पर होता है । किन्तु भारत में रेटिंग एजेन्सी की मूल्यांकन प्रविधियां अभी भी शैशवावस्था में हैं जिससे बासल II के अंतर्गत जोखिम प्रबंधन किस हद तक तथ्यसंगत होगा कहना मुश्किल है । जिस तरह वैश्विक वित्तीय संकट में दुनिया की नामी–गिरामी रेटिंग एजेन्सियों द्वारा अच्छी रेटिंग दिए जाने के बावजूद विकसित देशों के बैंकों को भारी नुकसान उठाना पडा वह रेटिंग की समस्त प्रक्रिया पर ही सवाल उठाती है ।

• भारतीय बैंकों के समक्ष बासल II की तैयारी में सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना, डाटा प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन संसाधन, भारी निवेश, संचार साधनों आदि का सफलतापूर्वक संचालन जरूरी है ।

• जोखिम विविधीकरण का सिद्धान्त बैंकों की देनदारी में कई मायनों में लागू नहीं होता है विशेषकर भारत जैसे देश में जहां कृषि, प्राथमिक क्षेत्र आदि में ऋण आदि देना बैंकों के लिए अनिवार्य होता है ।

fu"d"k %

बैंकों में होने वाले जोखिम को कम करने के लिए कर्मचारियों, अधिकारियों तथा प्रबन्धकों को प्रशिक्षण देकर सेवाओं में गुणवत्ता लानी होगी। ग्रहक सेवा में तत्परता तथा उत्कृष्टता लानी होगी और नवीनतम तकनीकों को अपनाना होगा। जोखिम को निपटाने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रबंध तंत्र को अपनाना होगा । भारतीय बैंकों के सामने एक बड़ी चुनौती यही है कि वे अपने मौजूदा सूचना तंत्र एवं प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन के साथ बासल II के अनुकूल उन्नत दृष्टिकोणों को अपनाने के लिए क्षमताओं का निर्माण करें। बासल II के कारण बैंकों को अपना पूंजी आधार बढ़ाना होगा और जोखिम प्रबंधन के लिए न्यूनतम पूंजी निर्धारित करनी होगी । ऋण जोखिम एवं बाजार जोखिम के अतिरिक्त परिचालन जोखिम के लिए भी बैंकों को पूंजी प्रबंध करना होगा । भारतीय बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताएं बढ़ गई हैं और आवश्यक स्तर तक पूंजी को बनाए रखना तथा अत्याधुनिक वित्तीय अवधारणाओं से अपने कार्मिकों एवं तंत्र को सुसज्जित करना बैंकिंग तंत्र के लिए एक व्यवहारिक चुनौती बनकर उभरा है । बासल प्रतिमानों का सुव्यवस्थित संचालन निश्चित ही भारतीय बैंकों में जोखिम प्रबंधन संस्कृति को सुदृढ़ बनाएगा और उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को मजबूत करेगा ।

REFERENCES

1. Awojobi, Omotola and Amel, Roya and Norouzi, Safoura (2011): Analysing Risk Management in Banks: Evidence of Bank Efficiency and Macroeconomic Impact. 2. A.T.Kearney's " Seven Tenets of Risk Management in the Banking Industry." 3. Santomero, Anthony M.(1997),"Commercial Bnak Risk Management An Analysis of the Process", Journal of Financial Services Research,12,83-115. 4. Oracle's Basel II Solution By : Pal Ribarics, Oracle Corporation. 5.Vashitht,A.K.,2004.Commercial Banking In The Globalized Environment, Political Economy, Journal of India,Vol.13, Issue 1&2, January-June,PP.1-11. 6. www.rbi.org.in 7. www.bis.org/publ/bcbsca.htm 8. www.icra.in/files/Articles/2005-March-BASEL%20II%20ACCORD.PDF 9. www.iibf.org.in/documents/research-report/Report-25.PDF